प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 जुलाई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र पुत्र श्री भागीरथ, निवासी जनपद-मथुरा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-37920/प्रो0अनु0(2)-305/2025 (बैठक दिनांक 23.09.2025), दिनांक 30.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र पुत्र श्री भागीरथ, नगला हंसी, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 08.11.2010 को मकान के सामने खेल रही वादी की पुत्री आयु 07 वर्ष को अभियुक्त अपने साथ ले जाकर, दुष्कर्म कर व हत्या कर भूसा की बर्जी में डाल दिये जाने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-116/2011 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302, 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0-7, मथुरा के आदेश दिनांक 30.03.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन, बंदी द्वारा दिनांक 04.09.2025 तक बंदी द्वारा अपरिहार 14 वर्ष 09 माह 24 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 08 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 04.09.2025 को बंदी की आयु लगभग 37 वर्ष 03 माह है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), मथुरा द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है एवं समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बदी पुन अपराध कर सकता है (3) बन्दी पुनः अपराध करने में सशक्त है। (4) बंदी को जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 08.11.2010 को मकान के सामने खेल रही वादी की पुत्री आयु 07 वर्ष को अभियुक्त अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म कर व हत्या कर भूसा की बर्जी में डाल दिये जाने की घटना कारित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र पुत्र भागीरथ को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 को अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवेन्द्र (बन्दी सं0-17048) पुत्र श्री भागीरथ, निवासी जनपद-मथुरा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-969/2026/2111(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।